मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–47/2012/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने पर संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही।

संदर्भः–सा.प्र.वि. का आदेश क्रमांक एफ 7–1/96/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.1997 (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. हेतु पृथक–पृथक).

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त संदर्भित आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच हेतु पृथक–पृथक उच्च स्तरीय छानबीन समितियों का गठन किया गया है, जो उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अपना प्रतिवेदन संबधित विभागों/कार्यालयों को प्रेषित करती है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01 अगस्त, 1996 में छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–74–2003/आ.प्र./एक, दिनांक 21 जुलाई, 2003 द्वारा छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र फजी/गलत पाये जाने संबंधी समिति की रिपोर्ट पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कायवाही करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

3/ विभिन्न प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि संबंधित विभागों/कार्यालयों/नियोक्ता द्वारा उक्त निर्देशों के तहत् समय पर कार्यवाही न करने के कारण संबंधित व्यक्ति न्यायालय से स्थगन आदि प्राप्त कर लेते है और छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने के बाद भी लम्बी अवधि तक पद पर बने रहते है, जो उचित नहीं है।

4/ अतः इस विभाग के परिपत्र दिनांक 21 जुलाई, 2003 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि छानबीन समिति द्वारा यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाय जाने का निर्णय पारित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाए। यह कार्यवाही दो माह के अंदर (न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) सुनिश्चित की जाए।

5/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–47/2012/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद–500082।

16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
18. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल।
19. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
20. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
21. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुरस्कालय।
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग